न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 15/2018

1 मन्दिर मूर्ति मन्दिर नरसिंहजी वाके ग्राम सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू जरिये वाद मित्र श्री महेन्द्र सिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रतीराम पुत्र बंशीराम।
2 मातादीन पुत्र बंशीराम।
3 छाजू पुत्र बंशीराम।
4 संदीप पुत्र बंशीराम।
5 बलबीर पुत्र जमनाराम।
6 कानाराम पुत्र जमनाराम।
7 प्रकाश पुत्र जगदीश।
8 अशोक पुत्र जगदीश समस्त जाति अहीरान निवासीगण सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 12.01.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बमुकदमा प्रार्थना पत्र मन्दिर मूर्ति बनाम रतीराम आदि मुकदमा नम्बर 99/2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विक्रम दुलड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाषचन्द्र, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–13.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 99/2016 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक दावा बेदखली व तुड़वाये जाने अनाधिकृत मकान भूमि खसरा नम्बर 119,120,117,118 वाके राजस्व ग्राम सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 टिनेन्सी एक्ट वास्ते नियुक्ति करने रिसीवर उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ने दिनांक 12.01.2018 को अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 टिनेन्सी एक्ट की सुनवायी की जाकर प्रार्थी अपीलांट का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र वास्ते नियुक्त किये जाने रिसीवर अन्तर्गत धारा 212 टिनेन्सी एक्ट को आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 117,118,119,120 वाके ग्राम सिहोड़ में कोई निर्माण कार्य नही करें। भूमि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नही करे और भूमि को खुर्द बुर्द नही करें। परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलांट के महत्वपूर्ण बिन्दु वास्ते नियुक्त करने रिसीवर पर गौर नही कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 ने भूमि खसरा नम्बर 117,118

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

वाके ग्राम सिहोड़ में बजरी का दोहन किया है जिससे अपीलांट की भूमि खुर्द बुर्द हुयी है। अपीलांट को अपूरणीय क्षति हुयी है व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 खनन माफिया है जो कि वर्तमान मे भी उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर बजरी का दोहन निरन्तर कर रहे है व इसकी आड़ में भूमि खसरा नम्बर 119 व 120 का भी अवैध रूप से दुरूपयोग कर रहे है जो कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 177 के तहत गैर कानूनी है जिस पर गौर नही कर विचारण न्यायालय ने कानूनी भूल की है। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के निर्णय दिनांक 12.01.2018 को अपने ऊपर बेअसर मानते हुये वर्तमान में भी अवैध रूप से उपरोक्त भूमि में बजरी का दोहन निरन्तर कर रहे है। यदि निर्णय दिनांक 12.01.2018 में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र वास्ते नियुक्त किये जाने रिसीवर को स्वीकार कर लिया जाता तो रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 117,118,119,120 वाके ग्राम सिहोड़ पर किये जा रहे अवैध खनन कृत्य पर रोक लगती है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर रिसीवर नियुक्त नही किया जाता है तो रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 द्वारा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि में बजरी का दोहन निरन्तर किया जाता रहेगा। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर भूमि खसरा नम्बर 117,118,119,120 वाके ग्राम सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू को कुर्क कर कब्जे राज लिया जावें व तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू को रिसीवर नियुक्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट का विवादित भूमि से कोई सम्बंध सरोकार नही है। अपीलांट विवादित भूमि पर काबिज नही है। विवादित भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट मकान बनाकर आबाद है। विवादित भूमि पर कृषि से उनकी आजीविका चलती है। रेस्पोडेंट ने बजरी खनन नही किया है। विवादित भूमि को वेस्ट डेमेज एलीनेट नही किया है। विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि के सन्दर्भ में विचाराधीन निर्णय से निर्माण कार्य नही करने, भूमि के स्वरूप में परिवर्तन नही करने एवं भूमि को खुर्द बुर्द

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नही करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। साक्ष्य के अभाव में रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि अपीलांट विवादित भूमि पर काबिज नही है। विवादित भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट मकान बनाकर आबाद है। विवादित भूमि पर कृषि से उनकी आजीविका चलती है। विवादित भूमि को वेस्ट डेमेज एलीनेट करने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि के सन्दर्भ में विचाराधीन निर्णय से निर्माण कार्य नही करने, भूमि के स्वरूप में परिवर्तन नही करने एवं भूमि को खुर्द बुर्द नही करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। साक्ष्य के अभाव में रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर